



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-29032022-234597
CG-CG-E-29032022-234597

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1379]

No. 1379]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 28, 2022/चैत्र 7, 1944

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 28, 2022/CHAITRA 7, 1944

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

बिलासपुर, 23 मार्च, 2022

रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20 ड के अंतर्गत सूचना

का.आ. 1421(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसके पश्चाप अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 15 दिसम्बर 2021 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे) की अधिसूचना संख्या का आ. 5227(अ.) 01 दिसम्बर 2021 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट को महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् "राजनन्दगाँव – नागपुर तीसरी लाईन (228 किमी) परियोजना", के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी,

और उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों, अर्थात् दिशा प्रवाह (गोंदिया संस्करण) तारीख 24 दिसम्बर 2021 एवं दैनिक कशिष (गोंदिया संस्करण) तारीख 25 दिसम्बर 2021 को प्रकाशित किया गया था।

और सक्षम प्राधिकारी को आक्षेप प्राप्त हुए थे; सक्षम अधिकारी द्वारा उन आक्षेपों की सुनवाई की गयी एवं उक्त अधिनियम की धारा 20घ के अनुसरण में आदेश पारित कर दिये गए हैं;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड़ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उपाबद्ध अनुसूची भूमि विनिर्दिष्ट भूमि पुर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

अतः यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड़ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना में राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत विशेष रेल परियोजना " राजनन्दगाँव –नागपुर तीसरी लाईन (228किमी) परियोजना ", गोंदिया जिले, महाराष्ट्र राज्य के लिए, अधिग्रहण किये जान के लिए संरचना के सहित या उनके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण—

जिला – गोंदिया

राज्य महाराष्ट्र

सं.क.	गांव का नाम	धारक का नाम	सर्व्हे नं	भुधारण पध्दती	7/12/ समानुपात कुल क्षेत्र (हे.आर. / चौ.मी.)	अधिग्रहण क्षेत्र (हे.आर./ चौ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7
1	कुडवा	धनलाल पुरनलाल रहांगडाले	384/3/क/1	1	0.50	0.10
2		गणपतराव मनिराम रहांगडाले व अन्य	385	1	0.99	0.13
3		आनंदराव सदाशिव तुबकर व अन्य	386/2	2	0.15	0.0081
कुल – 03					1.64	0.2381

1	ढाकणी	गर्जेद्र बाबुराव तुळसीकर व अन्य	717/2	1	0.40	0.01
2		श्रीराम महारु सुर्यवंशी व अन्य	711	1	1.11	0.03
3		श्रीराम महारु सुर्यवंशी व अन्य	705	1	0.90	0.03
4		रामचंद्र पैकन राउत व अन्य	203	1	1.03	0.36
5		अशोक केशोरावभाई पटेल	55	1	0.06	0.06
6		डोमनबाई संजय खजरे व अन्य	175/1पै.	1	0.76	0.04
7		तुकडू धरमचंद शहारे व अन्य	294	1	1.31	0.12

8		परसराम श्रावण लोणारकर	245	1	0.95	0.02
9		चेतन कांतीभाई पटेल	51 / 1	1	0.68	0.68
10		चेतन कांतीभाई पटेल	51 / 2	1	0.40	0.22
11		उत्तम नत्थुजी कांबळे	201 / 1 / 2	1	0.36	0.34
12		आयग्रिन फॅब्रिकन प्रा.लि. गोदिया तर्फे मयुर कांतीलाल पटेल	53 / 1	1	0.39	0.14
कुल - 12					8.35	2.05

खफा. सं: सीई/सी/एन.जी.पी/आरजेएन-केएवी तीसरी लाईन/आरओआर/एसपीएल /आरएलवाइ प्रोजेक्ट,

आर. एन. सुनकर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(South East Central Railway)

Bilaspur, the 23rd March, 2022

Notice under Section 20E of the Railway Act, 1989

S.O. 1421(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (South East Central Railway), number S.O. 5227(E), dated the 01st December, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-ii, section 3, Sub-section (ii), dated the 15th December, 2021 and issued under sub-section (I) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989)(here in after referred as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely “Rajnandgaon-Nagpur 3rd Line (228 KM) Project” in Gondia District in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers, namely, Disha Pravah (Gondia Edition) of dated 24th December, 2021 & Dainik Kashish (Gondia Edition) of dated 25th December, 2021 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, objections were received; Competent Authority has heard the objections and orders have been passed in terms of section 20 D of the said act;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in the pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Govt. hereby declares that on publication of the notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired, with or without structures for the Special Railway Project
“Rajnandgaon-Nagpur 3rd Line (228 KM) Project” in Gondia District in the State of Maharashtra.**

District - Gondia**State – Maharashtra**

Sr. No.	Name of the village	Name of the Land holder	Survey No.	Land holding method	Total area as per 7/12 (H.R./sq.m.)	Acquisition area (H.R./sq.m.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kudwa	Dhanlal Puranlal Rahangdale	384/3/KA/1	1	0.50	0.10
2		Ganapatrao Maniram Rahangdale & others	385	1	0.99	0.13
3		Anandrao Sadashiv Tubkar & others	386/2	2	0.15	0.0081
Total - 3					1.64	0.2381

1	Dhakni	Gajendra Baburao Tudsikar & others	717/2	1	0.40	0.01
2		Shriram Maharur Suryavanshi & others	711	1	1.11	0.03
3		Shriram Maharur Suryavanshi & others	705	1	0.90	0.03
4		Ramchandra Paikan Raut & others	203	1	1.03	0.36
5		Ashok Keshoraobhai Patel	55	1	0.06	0.06
6		DomanBai Sanjay Khajre & others	175/1 Pai.	1	0.76	0.04
7		Tukdu Dharamchand Shahare & others	294	1	1.31	0.12
8		Parasram Shravan Lonarkar	245	1	0.95	0.02
9		Chetan Kantibhai Patel	51/1	1	0.68	0.68
10		Chetan Kantibhai Patel	51/2	1	0.40	0.22
11		Uttam Nathuji Kambde	201/1/2	1	0.36	0.34
12		Mayur Kantilal Patel on behalf of Aaygrin Fabrication Private Limited Gondia,	53/1	1	0.39	0.14
Total - 12					8.35	2.05

[F.No. CE/C/NGP/RJN-KAV 3rd line/ROR/SPL/RLY Project]

R.N.SUNKAR, Chief Administrative Officer (Con),